न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– नरेन्द्र गुप्ता (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 21/2022

बउनवान

घांसीलाल आयु 36वर्ष पुत्र बीरमा, जाति–भील़ निवासी नवाबगंज ग्राम पंचायत कड़ैयानोहर तहसील छबड़ा जिला बारां (राजस्थान) उचित मूल्य दुकानदार कड़ैयानोहर तहसील छबड़ा जिला बारां, राज0

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये जिला रसद अधिकारी, बारां जिला बारां (राज.) (रेस्पोंडेंट)

अपील, अन्तर्गत धारा–22 (1) (A) राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के तहत।

उपस्थिति :–1. श्री गजेन्द्र कुमार पंचौली, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार रसद (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 03.01.2023

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक जिला रसद अधिकारी, बारां के आदेश दिनांक 31.03.2022 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्व रेस्पोंडेट अन्तर्गत धारा–22 (1) (A) राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के तहत इस आशय की पेश की है कि रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र सं. 17/2012 को निरस्त कर दिया एवं पोस कोड 7128 की समस्त प्रतिभूति राशि जप्त करने का आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय ने 385.95 क्विं. गेंहू का दुरूपयोग किये जाने एवं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों के उल्लंघन का दोषी मानकर उक्त आदेश के खण्ड 8 व 9 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए लाईसेंस निरस्त किया, परन्तु आदेश 1976 के खण्ड 8 व 9 के आदेशात्मक प्रावधानों के अनुसार अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं देकर कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है। रेस्पोडेन्ट ने आदेश पारित करने से पूर्व भी अपीलांट का लाईसेंस बहाल कर दो माह तक राशन वितरण करवाया एवं अटेचमेन्ट में दुकान 11.07.2021 को मूंडक्या पंचायत को दी, जिसमें अपीलांट दोषी नहीं है। अपीलांट गरीब भील, आदिवासी एवं विकलांग है, निर्दोष होने के बावजूद बिना सुनवाई का अवसर दिये उसका लाईसेंस निरस्त करने से उसे एवं उसके परिवार को जीवन यापन में बहुत कठिनाई आ रही है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.2022 को निरस्त कर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल करने का आदेश फरमावें।

2– प्रकरण दर्ज रजिस्टर [illegible] सम्मन तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया [illegible] प्रकरण में जिला रसद अधिकारी,बारां से अभिलेख प्राप्त होने पर बहस [illegible] व पेरोकार रसद सुनी गयी।

3– बहस के दौरान अ[illegible] अपील में अंकित तथ्यों [illegible]हराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट को सुनवाई का अ[illegible] दिये बगैर अधीनस्थ [illegible]य ने अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया। रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट को 385.95 क्विं. गेंहू के गबन का दोषी माना है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह साबित नहीं होता

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.01 10:33:23 IST
Reason: SelfAttested

कि अपीलांट ने किस प्रकार गबन किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी, बारां का आदेश दिनांक 31.03.2022 निरस्त कर अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार रसद ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करने हेतु निवेदन किया कि अपीलांट को विधिवत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा तथा अपीलांट द्वारा जवाब नोटिस भी प्रस्तुत किया गया जो पत्रावली में संलग्न है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है तथा उनके द्वारा नियमानुसार ही अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र बिना सुनवाई किये निरस्त कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 का उल्लंघन किया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.10.2020 को अपीलांट को नोटिस जारी कर सुनवाई हेतु दिनांक 28.10.2020 नियत की गई। अपीलांट ने दिनांक 28.10.2020 को प्रकरण में जवाब भी पेश किया है। इसके पश्चात भी रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 16.06.2021 को अपीलांट को नोटिस जारी कर सुनवाई हेतु दिनांक 28.06.2021 नियत की गई। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन असत्य है कि प्रकरण में उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा अपील अपीलांट सारहीन होना पाई जाती है।

अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2023 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर,बारां
जिला कलेक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.01 10:33:23 IST
Reason: SelfAttested